तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-9-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की पुनः बहस एक तरफा सुनी गई। वास्ते आदेश आतिये पत्रावली 27-9-22 को पेश हो।	Rk
27-9-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. निर्णय सुनाया गया। वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य सिद्ध करने में असफल रहने से वादी का वाद खारिज किया जाता है तविस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

72/दावा/2010
दायरा दिनांक 27.09.2010

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. सांवल लाल आयु 70 वर्ष आ0 सरिया उर्फ श्रीराम जाति मीणा निवासी ग्राम जाडली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मृतक जर्ये कायम मुकाम–

1/1 जगदीश आयु 39 वर्ष आ0 सांवल्या उर्फ सांवल लल जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–वादीगण

बनाम

1. बाबू लाल आ0 भूरिया उर्फ भूरा जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. रामस्वरूप आ0 भूरिया उर्फ भूरा जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. रामविलास आ0 लक्ष्मीनारायण जाति मीनला निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. धनराज आ0 लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. बद्री आ0 लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. सीता बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

7 राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट
उपस्थित :– श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय

दिनांक :– 27.09.2022

वादी की ओर से निम्न वाद पेश है कि ग्राम जाड़ला तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित खसरा सं0 162 रकबा 0.72 है0 खसरा सं0 221 रकबा 0.39 है0, ख0सं0 238 रकबा 0.12 है0, ख0सं0 326 रकबा 0.22 है0 ख0सं0 327 रकबा 0.12 है0, ख0सं0 337 रकबा 0.04 है0, ख0सं0 434 रकबा 1.26 है0, ख0सं0 505 रकबा 0.50 है0, ख0सं0 513 रकबा 0.65 है0, ख0सं0 514 रकबा 0.70 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.72 है0 आराजी स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण 1 व 2 का हिस्सा 1/2 व 3 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 अंकित है एवं ग्राम बड़ाखेडा स्थित आराजी ख0सं0 1434, 1490 कुल किता 2 रकबा 3.81 है0 में खातेदार प्रतिवादी सं0 1 व 2 दर्ज रिकॉर्ड है, जबकि सजरा खानदान अनुसार जाड़ला ग्राम स्थित उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की पैतृक भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का 2/3 हिस्सा व वादी का 1/3 हिस्सा बनता है एवं ग्राम बड़ाखेड़ा स्थित उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का 2/3 हिस्सा व वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पैतृक है जिस पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट के अधिकारियों की गलती से वादी का संदर्भित विवादित भूमि में हिस्सा व खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है इसलिए वादी को इस संदर्भित विवादित भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को इस प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और न ही जमीन को रहन बय नहीं करें।

वादपत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया प्रति सं0 1 स्वयं उपस्थित परंतु जबाव पेश नहीं हुआ। प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 व 7 बावजूद तामिल व सूचना अनुपस्थित रहे। इस कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता वादी ने वादी की तरफ साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रदर्श 1 लगायत 10 कराये। बहस एक तरफा सुनी अधिवक्ता वादी ने वादपत्र मे अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवादित आराजी को पैतृक बताते हुए वादी का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया।

किसी प्रकार आपत्ति व खण्डनीय प्रत्युत्तर के अभाव में वादपत्र में अंकित तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य को सही मानते हुए पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि वादी ने ग्राम बड़ाखेड़ा स्थित भूमि के पैतृक होने संबंधी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य यथा गत जमाबंदी नामान्तरकरण वगेरह प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही ग्राम जाड़ला के विवादित आराजी खसरो से संबंधित सम्पूर्ण पुराना राजस्व रिकॉर्ड पेश किया जिससे कि यह ताकीद किया जा सके कि विवादित भूमि वादी के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी जो राजस्व अधिकारियों की त्रुटि से रिकॉर्ड में उसके नाम अंकित नहीं हो सकी। इस प्रकार प्रार्थी विवादित आराजी उसकी पैतृक होना एवं उसका 1/3 हिस्सा होना सिद्ध करने में असफल रहा।

अतः वादी का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)